THE **ARMS ACT. 1959**

(Act No. 43 of 2005)

आयुध अधिनियम, 1959

(2005 का अधिनियम संख्यांक 43)

[Enactment Date: 23rd December, 1959] TO I SILVE

द्विभाषी संस्करण

Tansukh Paliwal

LL.M, CA Ex. Govt Officer (Raj.) Founder, Linking Laws



Jodhpur, Rajasthan

Click Here to Buy Linking Publications

Preface

Hello & नमस्कार,

LINKING BARE ACTS are not merely Bare Act of the Text approved by Legislature rather it envisage my personal Experience as Judiciary Exam Educator of more than a decade wherein I found the style of Inter Section Linking, Inter Chapter Linking and Inter Acts Linking so effective that the reader can gain comprehensive command over any particular topic or concept with help of it. Further, such things also help in easy mediation while making revision.

"जो याद (memorize) नही होता उसे, उससे याद करो जो याद हो चूका है" - this technique is output of Linking style.

Presently, Law Exam specially concentrate to check command of student over Legislative Text (i.e. Bare Act), accordingly they asked questions which directly or indirectly Linked with Bare Act only. While teaching various laws, I found that Linking techniques is easy for student to learn multiple sections together, so I have included such technique in LINKING BARE ACTS.

These Linking Bare Acts of **ARMS ACT**, **1959** includes regular features of any Linking Bare Acts, so I have provided various comparative table also which will help to understand the changes easily in new laws. it's my firm belief, these LINKING BARE ACT will certainly change the way of reading Bare Act. Further, spacious margin, Bracket Method of Proviso and Explanation etc will make the study more convenient.

- **Tansukh Paliwal** Founder of Linking Laws

© All rights including copyright reserved with the publisher.

Disclaimer

No part of the present book may be reproduced re-casted by any person in any manner whatsoever or translated in any other language without written permission of publishers or Author(s). All efforts have been made to avoid any error or mistakes as to contents but this book may be subject to any un-intentional error/omission etc.

S.No. 1. Section Index 2. Legal Disclaimer 3. Range Chapter wise I PRELIMINARY/ प्रारम्भिक II ACQUISITION, POSSESSION, MANUFACTURE, SALIMPORT, EXPORT AND TRANSPORT OF ARMS AN AMMUNITION आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आया निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje		
2. Legal Disclaimer 3. Range Chapter wise I PRELIMINARY/ प्रारम्भिक II ACQUISITION, POSSESSION, MANUFACTURE, SALIMPORT, EXPORT AND TRANSPORT OF ARMS AN AMMUNITION आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आया निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञिपयों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje		Page
3. Range Chapter wise I PRELIMINARY/ प्रारम्भिक II ACQUISITION, POSSESSION, MANUFACTURE, SAL IMPORT, EXPORT AND TRANSPORT OF ARMS AN AMMUNITION आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आया निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subjection of the		4-6
I PRELIMINARY/ प्रारम्भिक II ACQUISITION, POSSESSION, MANUFACTURE, SAL IMPORT, EXPORT AND TRANSPORT OF ARMS AN AMMUNITION आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आया निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञिपयों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subjection)		7
II ACQUISITION, POSSESSION, MANUFACTURE, SAL IMPORT, EXPORT AND TRANSPORT OF ARMS AN AMMUNITION आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आया निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subjection of the su	Sections	8-57
IMPORT, EXPORT AND TRANSPORT OF ARMS AN AMMUNITION आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आया निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रक्तीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subjection of the subj	1-2	8-11
AMMUNITION आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आया निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subjection)	E, 3-12	12-19
आयुधों और गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आया निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje	D	
निर्यात और परिवहन III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje		
III PROVISIONS RELATING TO LICENCES अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje	त,	
अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje		
IV POWERS AND PROCEDURE / शक्तियां और प्रक्रिया V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje	13-18	20-27
V OFFENCES AND PENALTIES / अपराध और शास्तियां VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje		
VI MISCELLANEOUS / प्रकीर्ण 4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje	19-24B	28-37
4. QR for Landmark Judgments (Year wise & Subje	25-33	38-49
9/6	34-46	50-57
	ct wise)	58
Salu		

THE ARMS ACT, 1959

ARRANGEMENT OF SECTIONS धाराओं का क्रम

Sec. No.	Title	Page No
	CHAPTER I	
	PRELIMINARY / प्रारंभिक	
1.	Short title, extent and commencement. / संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.	8
2.	Definitions and interpretation. / परिभाषाएं और निर्वचन	8-10
	CHAPTER II	
	ACQUISITION, POSSESSION, MANUFACTURE, SALE, IMPORT,	
	EXPORT AND TRANSPORT OF ARMS AND AMMUNITION / आयुधों और	
	गोला-बारूद का अर्जन, कब्जा, विनिर्माण विक्रय, आयात, निर्यात और परिवहन	
3.	Licence for acquisition and possession of firearms and ammunition. / अग्न्यायुधों और गोला-बारूद के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति	12
4.	Licence for acquisition and possession of arms of specified description in certain cases. / कतिपय दशाओं में विनिर्दिष्ट वर्णन के आयुधों के अर्जन और कब्जे के लिए अनुज्ञप्ति	12
5.	Licence for manufacture, sale, etc., of arms and ammunition. / आयुधों और गोला-बारूद के विनिर्माण, विक्रय इत्यादि के लिए अनुज्ञान्ति	14
6.	Licence for the shortening of guns or conversion of imitation firearms into firearms. / गनों के नाल के छोटा किए जाने या नकली अग्न्यायुधों को अग्न्यायुधों में संपरिवर्तित करने के लिए अनुज्ञप्ति	14
7.	Prohibition of acquisition or possession, or of manufacture or sale of prohibited arms or prohibited ammunition. / प्रतिषिद्ध आयुधों या प्रतिषिद्ध गोला-बारूद के अर्जन या कब्जे में रखने या उसके विनिर्माण या विकास का प्रतिषेध	14
8.	Prohibition of sale or transfer of firearms not bearing identification marks. / जिन अग्न्यायुधों पर पहचान चिन्ह न हो, उनके विक्रय या अन्तर का प्रतिषेध	16
9.	Prohibition of acquisition or possession by, or of sale or transfer to, young persons and certain other persons of firearms, etc./ तरूण व्यक्तियों और कुछ अन्य व्यक्तियों द्वारा अग्न्यायुधों आदि के अर्जन या कब्जे का या उनके विक्रय या अन्तरण का प्रतिषेध	16
10.	Licence for import and export of arms, etc. / आयुधों आदि के आयात और निर्यात के लिए अनुज्ञप्ति	16-18
11.	Power to prohibit import or export of arms, etc. / आयुधों आदि का आयात या निर्यात प्रतिषिद्ध करने की शक्ति	18
12.	Power to restrict or prohibit transport of arms. / आयुधों का परिवहन निर्बन्धित या प्रतिषिद्ध करने की शक्ति	18
	CHAPTER III	
	PROVISIONS RELATING TO LICENCES / अनुज्ञपियों के बारे में उपबन्ध	
13.	Grant of licences. / अनुज्ञप्तियों का अनुदान	20
14.	Refusal of licences. / अनुज्ञप्तियां देने से इंकार करना	20
15.	Duration and renewal of licence. / अनुज्ञप्ति की अस्तित्वावधि और उसका नवीकरण	22
16.	Fees, etc., for licence. / अनुज्ञप्ति के लिए फीस आदि	22

THE ARMS ACT, 1959

ACT NO. 54 OF 1959

[23rd December, 1959]

An Act to consolidate and amend the law relating to Arms and Ammunition.

BE it enacted by Parliament in the Tenth Year of the Republic of India as follows: —

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.

- (1) This Act may be called the Arms Act, 1959.
- (2) It extends to the whole of India.
- (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions and interpretation. —

- (1) In this Act, unless the context otherwise requires,
 - (a) "acquisition", with its grammatical variations and cognate expressions, includes hiring, borrowing, or accepting as a gift;
 - (b) "ammunition" means ammunition for any firearm, and includes—
 - (i) rockets, bombs, grenades, shells and other missiles
 - (ii) article designed for torpedo service and submarine mining,
 - (iii) other articles containing, or designed or adapted to contain, explosive, fulminating or fissionable material or noxious liquid, gas or other such thing, whether capable of use with firearms or not.
 - (iv) charges for firearms and accessories for such charges,
 - (v) fuses and friction tubes,
 - (vi) parts of, and machinery for manufacturing, ammunition, and
 - (vii) such ingredients of ammunition as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify in this behalf;
 - (c) "arms" means articles of any description designed or adapted as weapons for offence or defence, and includes firearms, sharp-edged and other deadly weapons, and parts of, and machinery for manufacturing, arms, but does not include articles designed solely for domestic or agricultural uses such as a lathi or an ordinary walking stick and weapons incapable of being used otherwise than as toys or of being converted into serviceable weapons;
 - (d) "district magistrate", in relation to any area for which a Commissioner of Police has been appointed, means the Commissioner of Police thereof and includes any such Deputy Commissioner of Police, exercising jurisdiction over the whole or any part of such area, as may be specified by the State Government in this behalf in relation to such area or part;
 - (e) "firearms" means arms of any description designed or adapted to discharge a projectile or projectiles of any kind by the action of any explosive or other forms of energy, and includes—

आयुध अधिनियम, 1959

(1959 का अधिनियम संख्यांक 54)

[23 दिसम्बर, 1959]

आयुधों और गोला-बारूद से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए अधिनियम । भारत गणराज्य के सतरहवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

अध्याय 1 प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

- (1) यह अधिनियम आयुध अधिनियम, 1959 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं और निर्वचन.

- (1) इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित "अर्जन" के अन्तर्गत भाड़े पर लेना, उधार लेना या दान के रूप में प्रतिगृहीत करना आता है
 - (ख) "गोला-बारूद" से किसी अग्न्यायुध के लिए गोला- बारूद अभिप्रेत है, तथा इसके अन्तर्गत- आते हैं;
 - (i) राकेट, बम, ग्रेनेड, गोला और ऐसे ही अन्य अस्त्र;
 - (ii) टारपीडो को काम में लाने और अन्त समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं;
 - (iii) विस्फोटक, स्फूर्जनकारी या विखण्डनीय सामग्री या अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट रखने वाली या अर्न्तिवष्ट रखने के परिकल्पित या अनुकूलित अन्य वस्तुएं चाहे वे अग्न्यायुधों के साथ उपयोग के योग्य हों या न हों;
 - (iv) अग्न्युधों के लिए भरण और ऐसे भरणों के लिए उपसाधन;
 - (v) पलीते और घर्षण नलिकाएं;
 - (vi) गोला-बारूद के संघटक और उसके विनिर्माण के लिए मशनरी; और
 - (vii) गोला-बारूद के ऐसे संघटक जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमत्त विनिर्दिष्ट करे,
 - (ग) "आयुध" से आक्रमण या प्रतिरक्षा के लिए शस्त्री के रूप में परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन की वस्तुएं अभिप्रेत हैं और अन्न्यायुध, तीक्ष्ण धार वाले और अन्य घातक शस्त्र और आयुर्थी के भाग और उनके विनिर्माण के लिए मशीनरी इसके अन्तर्गत आते हैं, किन्तु केवल घरेलू या कृषिक उपयोगों के लिए परिकल्पित वस्तुएं, जैसे लाठी या मामूली छड़ी तथा ये शस्त्र जी खिलौनों से भिन्न रूप में उपयोग में लाए जाने के लिए या काम के शस्त्रों में संपरिवर्तित किए जाने के लिए अनुपयुक्त हाँ, इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं;
 - (घ) किसी ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में, जिसके लिए पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया हो, "जिला मजिस्ट्रेट" से उस क्षेत्र का पुलिस आयुक्त अभिप्रेत है, और ऐसे पूर्ण क्षेत्र या उसके किसी भाग पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला ऐसा पुलिस उपायुक्त, जिसे राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र या भाग के सम्बन्ध में इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, इसके अन्तर्गत आता है,
 - (ङ) "अग्न्यायुधों" से किसी विस्फोटक या अन्य प्रकारों की ऊर्जा की क्रिया से किसी भी प्रकार के प्रक्षेप्य या प्रक्षेप्यों को चलाने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी वर्णन के शस्त्र अभिप्रेत हैं, तथा,-

- (i) artillery, hand-grenades, riot-pistols or weapons of any kind designed or adapted for the discharge of any noxious liquid, gas or other such thing,
- (ii) accessories for any such firearm designed or adapted to diminish the noise or flash caused by the firing thereof,
- (iii) parts of, and machinery for manufacturing, firearms, and
- (iv) carriages, platforms and appliances for mounting, transporting and serving artillery;
- (ea) "**licence**" means a licence issued in accordance with the provisions of this Act and rules made there under and includes a licence issued in the electronic form:
- (f) "licensing authority" means an officer or authority empowered to grant or renew licences under rules made under this Act, and includes the Government:
- (ff) "magistrate" means an Executive Magistrate under the Code of Criminal Procedure, 1973;
- (g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (h) "prohibited ammunition" means any ammunition containing, or designed or adapted to contain, any noxious liquid, gas or other such thing, and includes rockets, bombs, grenades, shells, missiles, articles designed for torpedo service and submarine mining and such other articles as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify to be prohibited ammunition;
- (i) "prohibited arms" means—
 - (i) firearms so designed or adapted that, if pressure is applied to the trigger, missiles continue to be discharged until pressure is removed from the trigger or the magazine containing the missiles is empty, or
 - (ii) weapons of any description designed or adapted for the discharge of any noxious liquid, gas or other such thing, and includes artillery, anti-aircraft and anti-tank firearms and such other arms as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify to be prohibited arms;
- (j) "public servant" has the same meaning as in section 21 of the Indian Penal Code;
- (k) "transfer" with its grammatical variations and cognate expressions, includes letting on hire, lending, giving and parting with possession.
- (2) For the purposes of this Act, the length of the barrel of a firearm shall be measured from the muzzle to the point at which the charge is exploded on firing.
- (3) Any reference in this Act to any law which is not in force in any area shall, in relation to that area, be construed as a reference to the corresponding law, if any, in force in that area.
- (4) Any reference in this Act to any officer or authority shall, in relation to any area in which there is not officer or authority with the same designation, be construed as a reference to such officer or authority as may be specified by the Central Government by notification in the Official Gazette.

- (i) तोपें, हथगोले, रायट-पिस्तोलों या किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित किसी भी प्रकार के शस्त्र,
- (ii) किसी भी ऐसे अग्न्यायुधों को चलाने से हुई आवाज या चमक को कम करने के लिए परिकल्पित या अनुकृलित उसके उपसाधन,
- (iii) अग्न्यायुधों के भाग और उन्हें विनिर्मित करने के लिए मशीनरी, तथा
- (iv) तोपों को चढ़ाने, उनका परिवहन करने और उन्हें काम में लाने के लिए गाड़ियां, मंच और साधित्र,

इसके अन्तर्गत आते हैं।

- (च) "अनुज्ञापन प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुज्ञप्ति का अनुदान या नवीकरण करने के लिए सशक्त या अधिकार या प्राधिकारो अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत सरकार आती है;
- (चच) "मजिस्ट्रेट" से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;
- (छ) "विहित" से अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ज) "प्रतिषिद्ध गोला-बारूद" से किसी भी अपायकर द्रव, गैस या अन्य ऐसी चीज को अन्तर्विष्ट रखने वाला, या अन्तर्विष्ट रखने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित कोई भी गोला-बारूद अभिप्रेत है, और राकेट, बम, ग्रेनेड, गोला अस्त्र, टारपीडो को काम में लाने और अन्तः समुद्री सुरंगें बिछाने के लिए परिकल्पित वस्तुएं और ऐसी अन्य वस्तुएं जिन्हें केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध गोला- बारूद होना विनिर्दिष्ट करे, इसके अन्तर्गत आती हैं;
- (झ) **"प्रतिषिद्ध आयुधों**" से-
 - (i) वे अग्न्यायुध जो इस प्रकार परिकल्पित या अनुकूलित हों कि यदि घोड़े पर दबाव डाला जाए, तो जब तक दबाव घोड़े पर से हटा न लिया जाए, या अस्त्रों को अन्तर्विष्ट रखने वाला मैगजीन खाली न हो जाय, अस्त्र छूटते रहें; अथवा
 - (ii) किसी भी वर्णन के वे शस्त्र जो किसी भी अपायकर द्रव, गैस या ऐसी ही अन्य चीज को छोड़ने के लिए परिकल्पित या अनुकूलित हों, अभिप्रेत है :

और इसके अन्तर्गत तोपें, वायुयान भेदी और टैंक भेदी अग्न्यायुध और ऐसे अन्य आयुध आते हैं, जैसे केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्रतिषिद्ध आयुध होना विनिर्दिष्ट करे :

- (ज) "लोक सेवक" का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 में है;
- (ट) अपने व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों सहित, "**अन्तरण**" के अन्तर्गत भाड़े पर देना, उधार देना, कब्जा देना और कब्जा विलग करना आता है।
- (2) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अग्न्यायुध की नाल की लम्बाई नालमुख से लेकर उस बिन्दु तक नापी जाएगी जिस पर फायर करने पर भरण का विस्फोट होता है।
- (3) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी ऐसी विधि के प्रति, 10 जो उस क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, इस अधिनियम में निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि यदि उस क्षेत्र में कोई तत्स्थानीय विधि प्रवृत्त है, तो वह उसके प्रति निर्देश है।
- (4) किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी ऐसे आफिसर या प्राधिकारी के प्रति, जिसके पदाभिधान का कोई आफिसर या प्राधिकारी उस क्षेत्र में नहीं है, इस अधिनियम में निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे आफिसर या प्राधिकारी के प्रति निर्देश है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

Linking Paperathon Booklets Unique Features of Paperathon Booklet + Subject-wise presentation with weightage analysis table + Covered Last Previous Years Papers + Linked Provision - Diglot Q&A (English + Hindi) + Explanation (English + Hindi) + QR Code for Paper Solution Free Videos + QR Code for Free Videos - QR Code for Free Videos Lectures for All Judiciary & Law Exams

-: <u>NOTE</u> :-